पत्रांक–7 / आर0 नीति–18–02 / 2008 का0 4722 /

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

आर0 एस0 शर्मा, भा.प्र.से.
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी विभाग,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त, झारखण्ड ।

रांची, दिनांक– 14 अगस्त, 2008

विषयः– **राज्य सेवाओं / सम्वर्गों के पदों पर प्रोन्नति में आरक्षण के संबंध में।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि कतिपय विभागों द्वारा निम्नांकित बिन्दु पर इस विभाग से परामर्श की अपेक्षा की जा रही है :–

"सरकारी सेवा में आरक्षित वर्ग के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणी के सरकारी सेवकों को प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ तभी दिया जाना चाहिए, जब वे झारखण्ड राज्य के मूल निवासी हों, चाहे उनकी नियुक्ति अविभाजित बिहार के समय की ही क्यों न हो।"

2. रिट डब्ल्यू0पी0(एस0) सं0–578 / 2004 कविता कुमारी कान्धव एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक–01.05.2006 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय पत्र सं0–6170 दिनांक–18.11.2006 द्वारा सभी विभागों को संसूचित किया गया है कि झारखण्ड राज्य में आरक्षण की सुविधा केवल झारखण्ड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही अनुमान्य होगा ।

3. उल्लेख करना है कि सरकारी सेवा में नियुक्ति के अवसर पर आरक्षण का लाभ लेने के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता होती है ताकि आरक्षण के दावे को सम्पुष्ट किया जा सके । सरकारी सेवा में आरक्षण के आधार पर नियुक्ति के उपरान्त प्रोन्नति के अवसर पर आरक्षित श्रेणी के कर्मियों को अपनी जाति के संबंध में प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है । प्रथम नियुक्ति के अवसर पर जिस श्रेणी में जो व्यक्ति नियुक्त होते हैं, भविष्य में भी उस सेवा में, उस व्यक्ति की वही श्रेणी बरकरार रहती है । झारखण्ड राज्य के गठन के अवसर पर सभी सेवाओं एवं सम्वर्गों का कैडर विभाजन हुआ और कैडर विभाजन में इस राज्य में आरक्षित श्रेणी के जो कर्मी आये उनमें झारखण्ड राज्य के भी निवासी है और बिहार राज्य के भी निवासी हैं ।

4. इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिया गया है :—

"वैसे सरकारी कर्मी, जो राज्य गठन के पूर्व आरक्षित श्रेणी में नियुक्त हुए हैं और सम्वर्ग विभाजन के आधार पर झारखण्ड राज्य में पदस्थापित किये गये हैं तथा वे बिहार राज्य के निवासी हैं, उनकी आरक्षण श्रेणी अप्रभावित रहेगी और वे आरक्षित श्रेणी के सरकारी कर्मी माने जायेंगे ।"

कृपया राज्य सेवाओं/सम्वर्गों के पदों पर प्रोन्नति में आरक्षण के मामले में इस अनुदेश के आलोक में कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन,

(आर० एस० शर्मा)
सरकार के प्रधान सचिव।